

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पशुपालन विभाग

उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक १० अक्टूबर 2025।

विषय: उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2806/पशुधन-3/कुक्कुट विकास नीति-2025/2025-26 दिनांक-24.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025' निम्नवत् प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपने ई-पत्र संख्या 588/XV-1/25/62949 दिनांक 09 जून 2025 के माध्यम से 'उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025' को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 09 जून 2025 से 31 दिसंबर, 2030 तक या नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।

यदि आवश्यक हो, तो उत्तराखण्ड सरकार इस नीति की अवधि बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यह नीति संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी और भविष्य की योजनाओं/कार्यों के लिए दिशा-निर्देश भी प्रदान करेगी।

नीति में दो प्रकार के पोल्ट्री फार्म स्थापित करने का प्रावधान है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

1. व्यवसायिक लेयर फार्म की स्थापना-

क्र. सं.	क्षेत्र	क्षमता (संख्या)	इकाई हेतु भूमि (एकड़ में)	कुल स्वीकृत परियोजना लागत (रु० करोड़ में)	अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी (रु० लाख में)
1	मैदानी क्षेत्र	30000 कुक्कुट पक्षी	2.5	1.80	54.00
2	पर्वतीय क्षेत्र	15000 कुक्कुट पक्षी	1.5	1.20	48.00

2. ब्रायलर पेरेन्ट फार्म की स्थापना—

क्र. सं.	क्षेत्र	क्षमता (संख्या)	इकाई हेतु भूमि (एकड़ में)	कुल स्वीकृत परियोजना लागत (रु० करोड़ में)	अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी (रु० लाख में)
1	मैदानी क्षेत्र	10000 कुक्कुट पक्षी	4.0	2.10	63.00
2	पर्वतीय क्षेत्र	5000 कुक्कुट पक्षी	2.0	1.40	56.00

नोट— 70 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमानित है।

सब्सिडी: मैदानी क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

नोट—

- उपर्युक्त क्षमता से छोटी इकाईयां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति (MSME Policy) से लाभ प्राप्त कर सकती है।
- उत्तराखण्ड की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति (MSME Policy) 2023, या उत्तराखण्ड सरकार की अन्य नीतियों के तहत पोल्ट्री क्षेत्र के लिए दिये जा रहे प्रोत्साहन जारी रहेंगे। इस नीति के किसी भी अन्य नीति के साथ ओवर लैपिंग (अधिव्यापन) के मामले में, उद्यमी लागू नीतियों में से किसी एक के तहत प्रोत्साहन चुनने के लिए स्वतंत्र होगा।

पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

- कोई अधिवास प्रतिबंध नहीं।
- यह योजना उन सभी आवेदकों के लिए खुली है जो भारत के नागरिक हैं और भारत में या भारत के बाहर रहते हैं।
- अनिवासी भारतीय (NRIs) और अन्य देशों के उद्यमी भी पात्र हैं।
- व्यक्ति/पार्टनरशिप/समूह/कंपनियां (स्टार्ट अप सहित) भी पात्र हैं।
- नीति के तहत निर्धारित व्यवसायिक लेयर और ब्रायलर पैरेंट इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत भूमि का स्वामित्व होना चाहिए जो उनके नाम पर होना चाहिए या निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक पंजीकृत पट्टा समझौता होना चाहिए एवं भूमि विवादग्रस्त नहीं होनी चाहिए।
- सभी आवेदकों को भूमि संबंधी आवश्यकताओं (चाहे स्वयं की हो या पट्टे पर ली गई हो) का पालन करना होगा तथा इस प्रकार स्थापित इकाइयों में सभी प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों के लिए स्थानीय निवासियों को नियुक्ति में प्राथमिकता देनी होगी।
- व्यवसायिक लेयर और ब्रायलर पैरेंट इकाइयों की स्थापना के लिए नीति के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को बैंक से सहमति पत्र (पोल्ट्री नीति का अनुलग्नक—C) प्रस्तुत करना होगा।

परियोजना लक्ष्य एवं अधिकतम सीमा

- उद्यमी द्वारा परियोजना की इकाईयों के आवेदन हेतु अधिकतम वर्षवार सीमा निम्नलिखित प्रकार निर्धारित की गयी है :

--	--

वर्ष	आवेदन हेतु इकाईयों की वर्षवार अधिकतम संख्या				कुल इकाईयों की संख्या
	मैदानी क्षेत्र		पर्वतीय क्षेत्र		
	लेयर फार्म	ब्रायलर पैरेंट फार्म	लेयर फार्म	ब्रायलर पैरेंट फार्म	
2025-26	5	3	5	4	17
2026-27	5	3	5	3	16
2027-28	3	1	3	1	8
2028-29	2	1	3	1	7
2029-30	2	1	2	1	6
कुल	17	9	18	10	54

- एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित की गयी इकाइयों के लक्ष्य पूर्ण न होने की दशा में उस वित्तीय वर्ष के शेष लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में जुड़ जायेंगे।
- परियोजनाओं को हर वर्ष 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर कालानुक्रमिक रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
- नीति में आवेदक द्वारा आवेदन की जा सकने वाली अधिकतम इकाइयों की संख्या के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, आवेदक किसी भी संख्या में इकाइयों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बजट उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- उद्यमी को दिये जा रहे लाभ का उद्यमी द्वारा आवेदन की गयी इकाइयों की संख्या से गुणन किया जायेगा।
- एक फार्म में कुक्कुट पक्षियों की संख्या का एक इकाई के गुणक में होना अनिवार्य नहीं होगा अर्थात् फार्म में पक्षियों की संख्या स्वीकृत परियोजना में निर्धारित पक्षियों की संख्या से अधिक भी हो सकती है।

एकाधिक इकाइयों के बीच की दूरी

दूसरी या तीसरी इकाई को पहली इकाई से दूर स्थापित करना अनिवार्य नहीं है अर्थात् वे पास-पास भी हो सकती हैं।

प्रशिक्षण

पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना हेतु चयनित उद्यमियों अथवा फार्म संचालकों को उद्यमिता विकास प्रबंधन एवं तकनीकी प्रशिक्षण राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर तथा विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक, ऋषिकेश आदि के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग

- यदि उद्यमी फार्म संचालन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों या विधियों को अपनाते हैं तो वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विभाग को आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए उत्तराखण्ड कुक्कुट नीति-2025 के अन्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक निधि के माध्यम से 'इनोवेशन प्रोत्साहन' प्रदान किया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 01 लाख है।
- उद्यमी द्वारा आवेदन करने उपरान्त उक्त का निरीक्षण 'मूल्यांकन समिति' द्वारा किया जायेगा, जिसकी सुस्पष्ट आख्या निदेशक, पशुपालन विभाग को इनोवेशन प्रोत्साहन की मंजूरी देने एवं प्रोत्साहन राशि निर्गत करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

तकनीकी बैकस्टॉपिंग

- पशुपालन निदेशालय, देहरादून में एक तकनीकी सहायता समूह का गठन किया जाएगा

जोकि उद्यमी और इंडस्ट्री के मध्य एक इंटरफेस के रूप में कार्य करके तकनीकी सहायता एवं सलाह प्रदान करेगा, जिसमें बाजार आसूचना सहित पश्चवर्ती और अग्रवर्ती सम्पर्क शामिल होंगे।

- उद्यमियों को पोल्ट्री पक्षियों के आहार की आवश्यकता हेतु कच्चे माल के उत्पादन के लिए सोयाबीन, मक्का और अन्य फलीदार फसलों जैसी फसलों की बुआई करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

सब्सिडी का भुगतान

पात्र आवेदकों को वित्तीय सब्सिडी का भुगतान तीन किस्तों में डीबीटी के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सीधे आवेदक के परियोजना ऋण बैंक खाते में (या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी अन्य तरीके से) किया जाएगा:

किस्त संख्या	वितरण %	बैचमार्क	सत्यापन हेतु समय	सत्यापन
पहली किस्त	50%	बुनियादी ढांचे के विकास के पूरा होने के बाद	परियोजना की स्वीकृति की तिथि से 12 माह	बुनियादी ढांचे के तैयार होने पर उद्यमी द्वारा सूचित किया जायेगा, जिसका सत्यापन 'मूल्यांकन समिति' द्वारा किया जाएगा
द्वितीय किस्त	40%	फार्म में चूजों को स्थापित करने उपरान्त	परियोजना की स्वीकृति की तिथि से 24 माह	फार्म में चूजे स्थापित करने पर उद्यमी द्वारा सूचित करने उपरान्त इकाई में उपलब्ध पोल्ट्री पक्षियों की संख्या की स्थिति का सत्यापन निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड द्वारा कराया जाएगा।
तृतीय किस्त	10%	फार्म के कार्यों के आंकलन उपरान्त	02 वर्ष के अंत में (सब्सिडी के लिए वैधता अवधि)	परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा फार्म के कार्यों का आंकलन और भारत सरकार द्वारा जारी जैव-सुरक्षा SOPs आदि का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने उपरान्त भुगतान किया जाएगा।

सब्सिडी की वैधता

- सब्सिडी की धनराशि, विभाग द्वारा परियोजना की स्वीकृति की तिथि से केवल 2 वर्ष की अवधि तक ही वैध होगी।
- मूल्यांकन समिति द्वारा सत्यापन के दौरान यदि उपरोक्त वर्णित समस्त बैचमार्क्स निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण नहीं पाये जाते हैं, तो इस दशा में प्रोत्साहन राशि निरस्त कर दी जायेगी और इस अवधि के दौरान आवेदक द्वारा प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन को 18% ब्याज सहित उत्तराखण्ड सरकार को वापस करना होगा।

सब्सिडी की वैधता बढ़ाये जाने हेतु शर्तें—

- यदि उद्यमी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं है और विलंब विभाग या किसी राज्य/केन्द्र सरकार के प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण या क्षेत्राधिकार वाले निकाय के किसी विशिष्ट या सामान्य आदेश या कार्रवाई के फलस्वरूप सीधे कारणों से होता है, तो उद्यमी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सहायक दस्तावेज 'मूल्यांकन समिति' के समक्ष प्रस्तुत करने पर परियोजना की निर्धारित अवधि को निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा बिना ब्याज लगाये बढ़ाया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, यदि आवंटी/पट्टेदार परियोजना को पूर्ववर्ती खण्ड (Preceding

Clause) के अन्तर्गत शामिल न किये गये कारणों से परियोजना को क्रियान्वित करने एवं निर्धारित अवधि के भीतर उत्पादन/ प्रचालन शुरू करने में असमर्थ है, तो उद्यमी सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तार प्रदान करने हेतु 'मूल्यांकन समिति' के समक्ष आवेदन कर सकता है। जिस पर विचार करने हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त आख्या सहित प्रकरण को निदेशक, पशुपालन विभाग को अग्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रकरण पर गुण-दोष के आधार पर निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ, जहां अवसंरचना विकास कार्य में विलम्ब हुआ है और/या जहां उद्यमी कार्यान्वयन में विलम्ब के ऐसे कारणों को प्रस्तुत करता है, जो उसके नियंत्रण से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में परियोजना को लाभार्थी द्वारा निर्धारित परियोजना विस्तार शुल्क और/अथवा जुर्माना अदा करने पर, जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा उचित समझा जाय, बिना ब्याज लगाये विस्तारित किया जा सकता है।

- यदि उद्यमी सब्सिडी संवितरण के पहले पांच वर्षों के भीतर (पहली किस्त सब्सिडी वितरण की तारीख से गणना); फार्म से न्यूनतम निर्दिष्ट अण्डे (लेयर फार्म)/न्यूनतम चूजे (ब्रायलर पेरेन्ट फार्म) उत्पादित करने में सक्षम नहीं है या फार्म के संचालन में भारत सरकार द्वारा जैव सुरक्षा एसओपी का उल्लंघन करता है तो प्रोत्साहन राशि निरस्त हो जाएगी और इस अवधि के दौरान उद्यमी को प्रदत्त किसी भी प्रोत्साहन राशि को उत्तराखण्ड सरकार को 18% ब्याज सहित यथानुपात आधार पर वापस करना होगा।

अर्थात् यदि उद्यमी उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उद्यमी को सब्सिडी वितरण की तारीख से वर्षानुसार 18% प्रतिवर्ष ब्याज की दर सहित कुल सब्सिडी का निम्नलिखित प्रतिशत उत्तराखण्ड सरकार को वापस करना होगा।

- प्रथम वर्ष – कुल सब्सिडी का 80% (बचे हुए साल 4) वापस करना होगा।
- द्वितीय वर्ष – कुल सब्सिडी का 60% (बचे हुए साल 3) वापस करना होगा।
- तृतीय वर्ष – कुल सब्सिडी का 40% (बचे हुए साल 2) वापस करना होगा।
- चौथे वर्ष – कुल सब्सिडी का 20% (बचे हुए साल 1) वापस करना होगा।
- पांच साल के बाद – कुल सब्सिडी का 0%

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मंजूरी

प्रस्तावित परियोजना भूमि के उस टुकड़े पर स्थित होनी चाहिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। आवेदक को वर्तमान सीपीसीबी दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- विभागीय वेबसाइट ahd.uk.gov.in पर कुक्कुट विकास नीति-2025 (हिंदी एवं अंग्रेजी में) एवं निम्नलिखित दस्तावेज/प्रारूप उपलब्ध कराये गये हैं, जहां से इन्हें डाउनलोड कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा सकेगा :
1. मॉडल परियोजनाएं
 2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रारूप, लेयर फार्म (कुक्कुट नीति में संलग्न प्रारूप-A)
 3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रारूप, ब्रायलर पेरेन्ट फार्म (कुक्कुट नीति में संलग्न प्रारूप-B)
 4. बैंक ऋण स्वीकृति प्रपत्र प्रारूप (कुक्कुट नीति में संलग्न Annexure-C)
 5. उपयोगिता प्रमाण पत्र-पूँजी सब्सिडी का प्रारूप (कुक्कुट नीति में संलग्न Annexure-D)
- इच्छुक आवेदक राज्य सरकार के 'Apuni Sarkar Portal' के माध्यम से 'उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025' के तहत आवेदन पत्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए प्रत्येक इकाई (मैदानी एवं पर्वतीय-लेयर फार्म/ब्रायलर फार्म) के लिए

पृथक आवेदन कर सकते हैं। संलग्न-आवेदन पत्र (Annexure-I एवं II)

- आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ 'उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025' की सभी शर्तें एवं नियमों के पालन करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (Annexure-III)

चयन प्रक्रिया

1. 'पहले आओ – पहले पाओ' सिद्धांत का पालन:

- आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं समय के आधार पर क्रमबद्ध किए जाएंगे।
- सबसे पहले प्राप्त होने वाले और पूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. पात्रता की पुष्टि:

- केवल वे ही आवेदन चयन हेतु विचार योग्य होंगे जो 'उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025' में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हों।
- अधूरी जानकारी या अपूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

3. अधिकतम अनुमोदन सीमा का पालन :

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नीति में अधिकतम अनुमोदनीय इकाइयों की संख्या निर्धारित है (उदाहरणार्थ, वर्ष 2025-26 में मैदानी क्षेत्र में 5 व्यावसायिक लेयर फार्म)।
- यदि पात्र आवेदनों की संख्या अनुमेय सीमा से अधिक हो जाती है, तो ऐसे आवेदकों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में पुनः आवेदन करने पर परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता :

- सभी चयनित एवं अस्वीकृत आवेदकों को ऑनलाइन अथवा अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- यदि आवेदक अपने दस्तावेज पूर्ण करने उपरान्त पुनः आवेदन करता है, तो उस स्थिति में आवेदन करने की तिथि व समय के क्रमानुसार आवेदन को स्वीकृति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

नीति का कार्यान्वयन

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार इस नीति के लिए कार्यान्वयन और प्रशासनिक एजेंसी होगी।

अनुमोदन एवं वित्तपोषण

उद्यमी द्वारा आवेदन करने उपरान्त परियोजना के त्वरित अनुमोदन एवं वित्तपोषण हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है :

1. पूर्व मूल्यांकन समिति-

1. वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी	—	अध्यक्ष
2. स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी	—	सदस्य
3. क्षेत्र प्रसार अधिकारी	—	सदस्य

कार्य-

- आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, आवेदन प्रपत्रों की जांच, फार्म का ऑनसाइट निरीक्षण (Geotaged Photo सहित) करना एवं भूमि के विवादग्रस्त न होने की जांच कराना।
- तदुपरान्त समिति द्वारा अपनी टिप्पणियों और संस्तुति के साथ आवेदन को मूल्यांकन समिति

को प्रेषित किया जाएगा।

2. मूल्यांकन समिति—

1. अपर निदेशक, सम्बन्धित मण्डल	—	अध्यक्ष
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद	—	सदस्य
3. सहायक लेखाधिकारी, सम्बन्धित मण्डल	—	सदस्य

कार्य—

- पूर्व मूल्यांकन समिति से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन-पत्र की समुचित जांच और परीक्षण करना।
- तदुपरान्त अपनी टिप्पणियों और संस्तुति के साथ आवेदन को परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) को अग्रेषित किया जाएगा।
- परियोजना की स्वीकृति उपरान्त सब्सिडी की प्रथम किस्त निर्गत किये जाने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास का सत्यापन किया जाएगा, तदुपरान्त सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट के संतोषजनक पाये जाने पर प्रथम किस्त उद्यमी के ऋण बैंक खाते में निर्गत की जायेगी।

3. परियोजना अनुमोदन समिति (PAC)—

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	—	अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, निदेशालय	—	सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, कुक्कुट	—	सदस्य
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, निदेशालय	—	सदस्य

कार्य—

- किसी व्यक्तिगत आवेदक या संस्था के मामले में अधिकतम 02 इकाइयों के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
- मूल्यांकन समिति से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर स्पष्ट टिप्पणियों के साथ अपना अनुमोदन या अस्वीकृति प्रदान करना।
- परियोजना की स्वीकृति उपरान्त सब्सिडी की तृतीय किस्त निर्गत किये जाने हेतु फार्म के कार्यों का आंकलन करना और भारत सरकार द्वारा जारी जैव-सुरक्षा SOPs आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

4. उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC)—

1. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	—	अध्यक्ष
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	—	सदस्य
3. अपर निदेशक, मुख्यालय	—	सदस्य
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, मुख्यालय	—	सदस्य

कार्य—

- किसी व्यक्तिगत आवेदक या संस्था द्वारा दो से अधिक इकाइयां स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना।
- नोडल अधिकारी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी शिकायत, देरी और विवाद का समाधान न हो पाने की स्थिति में, शिकायती प्रकरण का समाधान करना।

शिकायत निवारण (भूमिकाएं और जिम्मेदारियां)

नीति के तहत परियोजना निष्पादन में किसी भी विसंगति और देरी के मामले में, आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण के लिए आवेदन कर सकेगा।

निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, 'उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025' के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होंगे और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी शिकायत, देरी और विवाद के समय पर समाधान के लिए जिम्मेदार होंगे, यदि मामले को निर्धारित समय के भीतर हल नहीं किया जाता है, तो मामले को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) को भेज दिया जाएगा।

राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में मामलों की समीक्षा करने का अधिकार होगा:

- इस नीति के अंतर्गत पात्र परियोजना को सहायता/सब्सिडी की स्वीकृति/वितरण तथा राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- यदि आवश्यक हो तो इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाना/संशोधित करना।

किसी भी विवाद की स्थिति में, विभाग प्रचलित नीति के अनुसार निर्णय ले सकेगा और लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। संबंधित पक्षों के लिए इसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

कुक्कुट विकास नीति 2025 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में विचार एवं निवारण हेतु एक मात्र अधिकार क्षेत्र देहरादून न्यायालय को प्राप्त होगा एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी 'उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025' का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

इस नीति के साथ आवेदन पत्र आदि के प्रारूप अंग्रेजी में संलग्न किये गये हैं, किन्तु किसानों के लिए सभी प्रपत्रों को हिन्दी रूपान्तरण के बाद ही किसानों को दिया जाएगा, जिससे वे सभी प्रपत्रों को व इस नीति को समझ सकें।

Annexure-I

1- Applicant Details-		Photo
Full name.....		
Sex- Male/Female.....		
Father/Husband Name.....		
Address.....		
.....		
Category (Gen/SC/ST).....		
District.....		
State.....		
Country.....		
DOB..... Mobile number.....		
Email ID.....		
Pan Card Number..... Aadhar Card Number.....		
If applied earlier, than the allotted registration number-.....		
2- Location Details of Farm-		
District..... Block.....		
Address.....		
.....		
Total Land.....		
Land Ownership- Owned/Leased		

Type of farm established-

Place of farm-

Layer/Broiler

Hill/Plains

3- Type of Unit to be established-

1- Commercial layer farms-

A- 30000 bird capacity

B- 15000 bird capacity

2- Broiler parent farms-

A- 10000 bird capacity

B- 5000 bird capacity

4- Bank Details of Applicant-

Account Holder's Name.....

Bank Account Number.....

Branch.....

Name of Bank.....

IFSC Code

Note- List of Documents to be uploaded-

Documents related to project-

1. - Detailed project report (DPR) including cost of project, means of finance, recurring cost, net income etc. (Performa-A or B of Poultry Policy)
2. - Land document (Ownership/Lease deed/Khasra khatoni)
3. - Site photograph of Land (GPS Coordinates)
4. - Consent form from bank (Annexure-C of Poultry Policy)
5. - Documentary proof of applicant's share in the project

Documents related to Applicant

1. - Oath Letter
 2. - Aadhar Card
 3. - Pan Card
 4. - Experience Certificate (From Government institute or recognized Private organization)
 5. - Address Proof (Election Commission Photo ID card, Electricity Bill, Water Bill, Telephone Bill, Passbook, rent agreement etc.)
- The proposed project should comply with the current guidelines of Central Pollution Control Board.

Application Form
(For Firms)

Annexure-II

Photo

1- Applicant Details-

Full name of firm.....

Mobile Number.....

Email ID.....

Pan Card Number of firm.....

Registration Number of firm.....

District.....State.....

Country.....

If applied earlier, than the allotted registration number-.....

2- Location Details of Farm-

District.....Block.....Ad

dress.....

Total Land.....

Land Ownership- Owned/Leased
Type of farm established- Layer/Broiler
Place of farm- Hill/Plains

3- Type of Unit to be established-

- 1- Commercial layer farms-
A- 30000 bird capacity B- 15000 bird capacity
2- Broiler parent farms-
A- 10000 bird capacity B- 5000 bird capacity

4- Bank Details of Applicant-

Account Holder's Name.....
Bank Account Number.....
Branch.....
Name of Bank.....
IFSC Code.....

**Note- List of Documents to be uploaded-
Documents related to project-**

1. Detailed project report (DPR) including cost of project, means of finance, recurring cost, net income etc. (Performa-A or B of Poultry Policy)
2. Land document (Ownership/Lease deed/Khasra khatoni)
3. Site photograph of Land (GPS Coordinates)
4. - Consent form from bank (Annexure-C of Poultry Policy)
5. - Documentary proof of applicant's share in the project

Documents related to Firm

1. - Oath Letter (Annexure-III of Poultry Policy SOP)
 2. - Pan Card
 3. - Experience Certificate (From Government institute or recognized Private organization), if any
 4. - GST registration certificate
 5. - Certificate of Incorporation (In case of company)
 6. - Partnership Deed (In case of company)
 7. - Proof of registered office address
 8. - Address proof of partners- Aadhar cards, utility bills, bank statements or rental agreements.
- The proposed project should comply with the current guidelines of Central Pollution Control Board.

Annexure-III

नमूना प्रारूप

शपथ-पत्र

(उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 अन्तर्गत आवेदन किये जाने हेतु)
(रूपये 100 गैर न्यायिक (Non Judicial) स्टैम्प पेपर पर)

समक्ष- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी

जनपद-.....

मैं/हम श्री पुत्र श्री ग्राम.....

ब्लॉक.....तहसील.....जिला.....
.....राज्य.....देश.....के निवासी हैं।
मैं/हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि—

1. मैं/हम ऊपर लिखे पते के निवासी हैं।
2. मैं/हम उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 अन्तर्गत 10000/5000 पक्षी क्षमता के ब्रायलर पैरेन्ट फार्म अथवा 30000/15000 पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापना उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत करने हेतु इच्छुक हैं।
3. इकाई की स्थापना के नाम से
ग्राम ब्लॉक.....तहसील.....
जिला.....पर स्थापित किये जाने हेतु ऑनलाईन
आवेदन किया है।
4. मैंने/हमने उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 का भली-भांति अध्ययन कर लिया है तथा इसकी सभी नियम/शर्तों का भी पूर्णरूपेण पालन करेंगे तथा समय-समय पर योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तन/संशोधन अथवा दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं, वह हमें मान्य होंगे।
5. आवेदन पत्र/शपथ पत्र में दी गयी समस्त सूचनायें सही हैं। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाय तथा उस पर विधिक कार्यवाही की जाय।
6. मेरे द्वारा स्वयं अथवा पार्टनर अथवा फर्म के रूप में उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 अन्तर्गत 30000/15000 पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म अथवा 10000/5000 पक्षी क्षमता के ब्रायलर पैरेन्ट फार्म से अधिक का लाभ नहीं लिया जायेगा।
7. यदि मेरे/हमारे द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/भारत सरकार द्वारा जारी जैव सुरक्षा एसओपी के मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो मेरे/पार्टनर्स (साझेदारी)/फर्म/ कंपनियां (स्टार्ट अप) के विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगी।

शपथ पत्र का नाम और हस्ताक्षर

3 - किसानों के लिए जो आवेदन पत्र आदि अंग्रेजी में बनाए गये हैं, उनका हिन्दी रूपान्तरण तत्काल करवाते हुए, उक्त आवेदन पत्र किसानों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 10-10-2025
12:31:38

भवदीय,
(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव

पत्र संख्या-तदैव एवं तददिनांकित

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

सन्तोष बड़ोनी
अपर सचिव